झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा | एकादश (शीतकालीन) सत्र

संख्या-03

गुरुवार, दिनांक-14 दिसम्बर, 2017 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वा० से 3.47 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1. विविध चर्चायें:-

i- आज दिनांक-14.12.2017. को सभी दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित पलामू जिले में फर्जी नक्सली मुठभेड़ दिखाकर मारे गये निर्दोषजनों से सम्बन्धित विषय की जाँच की माँग को लेकर सम्पूर्ण विपक्ष अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये, इस क्रम में श्रीमती निर्मला देवी, स०वि०स० भी अपनी माँगों को लेकर सदन की वेल में आ गयीं, लेकिन आसन के निदेश से सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर बैठ गये,

ii- माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा ने उनके विधान सभा क्षेत्र में पॉपुलर फ्रंट द्वारा इस्लामिक संगठन चलाये जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया,

iii- माननीय सदस्य, श्री सुखदेव भगत ने सरकार से जनहित में कार्य किये जाने हेतु अनुरोध किया जिसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री मनोज कुमार यादव एवं श्री इरफान अंसारी ने भी किया,

iv- माननीय सदस्य, श्री राज कुमार यादव ने हजारीबाग जिलान्तर्गत बरकट्ठा प्रखण्ड में पिता के बदले पुलिस द्वारा उनके छोटे-छोटे बच्चों को गिरफ्तार किये जाने की ओर आसन का ध्यानाकृष्ट किया,

v- राँची स्थित लालपुर में गरीब सब्जी विक्रेताओं को पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटे जाने की ओर आसन का ध्यान माननीय सदस्य, श्री इरफान अंसारी ने आकृष्ट करते हुए सम्बन्धित अखबार की प्रतियाँ भी दिखायी,

vi- माननीय सदस्या, श्रीमती निर्मला देवी ने अपने पति एवं पूर्व मंत्री, श्री योगेन्द्र साव तथा पुत्र को झूठे केस में फंसाये जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया एवं न्याय की माँग की जिसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम, श्री मनोज कुमार यादव एवं श्री इरफान अंसारी ने भी किया,

vii- माननीय सदस्य, श्री संजीव कुमार सिंह ने अपने ऊपर पुलिस-प्रशासन द्वारा किये गये झूठे एफ.आई.आर. की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए विस्तार से वस्तुस्थिति को सदन के समक्ष रखा जिसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री राज सिन्हा ने भी किया। आसन द्वारा इसे गम्भीरता से लिया गया,

(कृपया पृष्ठ उलटें)

viii- माननीय सदस्य, श्री चम्पाई सोरेन ने चांडिल डैम के विस्थापितों को बार-बार आयडा/जियाडा द्वारा उजाड़े जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए न्याय की माँग की,

ix- माननीय सदस्य, श्री योगेन्द्र प्रसाद द्वारा भूमि विकास बैंक से सम्बन्धित मामले की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया गया,

x- सदन के बाहर अपनी माँगों को लेकर धरने पर बैठे माननीय सदस्य, श्री बादल को ससम्मान सदन के अन्दर लाये जाने हेतु माननीय मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा एवं माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम को आसन द्वारा निदेश दिया गया। (इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री बादल सदन के अन्दर आये।),

xi- माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार ने माननीय सदस्यों के पत्र का जवाब विभागीय अधिकारियों द्वारा नहीं दिये जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया जिसपर आसन द्वारा निम्न नियमन दिये गये-

2. आसन से नियमन:-

वर्तमान सत्र के आहूत होने के पूर्व बुलायी गयी उच्चस्तरीय विभागीय बैठक में सभी अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि वे माननीय सदस्यों के पत्रों का जवाब निश्चित रूप से दें, आज पुनः आसन से राज्य के सभी विभागीय पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे माननीय सदस्यों के पत्रों का जवाब ससमय निश्चित रूप से दें।

(इस अवसर पर माननीय सदस्या, श्रीमती निर्मला देवी अपनी माँगों को लेकर सदन की वेल में आ गयी, लेकिन आसन के निदेश से अपने स्थान पर बैठ गयी।)

3. कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना:-

आज दिनांक-14.12.2017 को माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव से पलामू जिले में फर्जी मुठभेड़ में मारे गये लोगों तथा पूर्व मंत्री श्री योगेन्द्र साव और उनके पुत्र पर झूठा मुकदमा सम्बन्धी माननीय सदस्या, श्रीमती निर्मला देवी, श्री आलमगीर आलम, स०वि०स०, श्री इरफान अंसारी, स०वि०स० एवं माननीय सदस्य, श्री बादल के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कार्य-स्थगन प्रस्तावों को नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा अमान्य कर दिया गया। इसपर शोरगुल होने लगा, लेकिन आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज सामान्य दर्शक दीर्घा में स्कूली बच्चे कार्यवाही देख रहे है, इसलिए हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए।

माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री हेमन्त सोरेन ने स्थानीयता तथा भूमि अधिग्रहण बिल एवं अन्य मुद्दों पर सरकार से स्पष्ट जवाब की माँग की इस क्रम में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा एवं भारतीय राष्ट्रीय काँग्रस के माननीय सदस्य स्लोगनयुक्त पोस्टर लेकर सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे जिससे अव्यवस्था का माहौल कायम हो गया जिसे देखते हुए सदन की कार्यवाही **11.40 बजे पूर्वा० से 12.45 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।**

स्थगनोपरांत

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

i- माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के अधिकांशतः माननीय सदस्य अपनी माँगों को लेकर पुनः अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये,

ii- माननीय सदस्य, श्री बादल ने मधुपुर स्थित पथरौल काली मंदिर से गहना चोरी हो जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित किया कि उक्त चोरी की वारदात से पूरे मधुपुर शहर में उबाल आ गया है, अतएव अविलम्ब चोरों की गिरफ्तारी की माँग उन्होंने की,

iii- माननीय सदस्य, श्री मनीष जायसवाल ने हजारीबाग में खासमहाल भूमि का नवीकरण नहीं करने और मनमाने ढंग से निर्मित भवनों को ध्वस्त किये जाने सम्बन्धी प्रशासन द्वारा ली जा रही कार्रवाई पर अविलम्ब रोक लगाये जाने की माँग की जिसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री मनोज कुमार यादव ने भी किया,

iv- माननीय सदस्य, श्री नारायण दास ने देवघर नगर निगम के तहत जोड़े गये 44 गांवों से बिना सुविधा दिये वसूले जा रहे यूजर्स टैक्स पर तत्काल रोक लगाने की माँग की।

4. सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:-

i- आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय द्वारा **The Legal Services Authorities Act, 1987** की कंडिका-18 की उप कंडिका-6 के अनुपालन में झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार वित्तीय वर्ष-2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 तथा 2010-2011 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी,

ii- आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय द्वारा झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड अधिनियम-1948 की धारा-69(5)(क) के परिप्रेक्ष्य में झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड का पृथक लेखा प्रतिवेदन (वर्ष-2001-2002 से 2013-14) की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी,

iii- आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय द्वारा झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग के विनियमन संग्रह के खण्ड-1 एवं 2 की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी,

iv- आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय द्वारा दामोदर घाटी निगम अधिनियम (1948 के अधिनियम-14) की धारा-45 के अनुसरण में दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन 2015-16 तथा वार्षिक बजट वर्ष-2016-17 की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी,

v- माननीय सभापति, श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी ने झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-216(1) के तहत सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 20वाँ प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा,

vi- माननीय सभापति, श्री जय प्रकाश भाई पटेल ने झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-216(1) के तहत निवेदन, शून्यकाल एवं गैर-सरकारी संकल्प समिति का चतुर्थ एवं पंचम् प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा,

vii- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-304(6) के अधीन चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के दशम्(मॉनसून) सत्र में माननीय सदस्यों से प्राप्त शून्यकाल की सूचनाओं से सम्बन्धित प्राप्त उत्तरों की संकलित प्रति प्रभारी सचिव द्वारा सभा पटल पर रखी गयी।

5. वित्तीय कार्य:-

"मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)" की माँग माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय द्वारा रखी गयी जिसपर माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत माँग पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के निमित माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव को आसन द्वारा पुकारा गया एवं सभी दलों के निमित्त समय आवंटन सम्बन्धी घोषणा की गयी। इस क्रम में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा एवं भारतीय राष्ट्रीय कौंग्रेस के कतिपय माननीय सदस्य पूर्व की भाँति सदन की वेल में आ गये और नारेबाजी करने लगे, अतएव अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 2.15 बजे अप० से 3.00 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो ध्वनिमत से सभा द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा श्री सरयू राय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत "मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)" माँग बारी-बारी से गिलोटिन (मुखबंद) के माध्यम से स्वीकृत हुई।

(भारी शोरगुल)

6. विधायी कार्य:-

(क) झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2017

माननीय प्रभारी मंत्री, पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, श्री अमर कुमार बाउरी द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक,** 2017 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

(ख) झारखण्ड राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2017

माननीय प्रभारी मंत्री, पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, श्री अमर कुमार बाउरी द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02 से खण्ड-43 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् झारखण्ड राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

क्र० पृ०उ०

(ग) झारखण्ड अनिवार्य विवाह निबंधन विधेयक, 2017

माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबन्धन एवं भूमि सुधार विभाग, श्री अमर कुमार बाउरी द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02 से खण्ड-32 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् झारखण्ड अनिवार्य विवाह निबंधन विधेयक, 2017 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

(घ) कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2017

माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबन्धन एवं भूमि सुधार विभाग, श्री अमर कुमार बाउरी द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) **विधेयक, 2017** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

(च) झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2017

माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, श्रीमती नीरा यादव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य, श्री बादल द्वारा प्रस्तुत संशोधन के आलोक में इस विधेयक को इस निदेश के साथ प्रवर समिति को आसन द्वारा सौंपा गया कि वह अपना प्रतिवेदन पन्द्रह दिनों के अन्दर समर्पित करे तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक- 15.12.2017 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

राँची, — विनय कुमार सिंह,

दिनांक- 14, दिसम्बर, 2017 ई०। — प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा।